उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2021)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम,
प्रारम्भ			2021 है।
		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।
		(3)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 3 का संशोधन	2.		उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (30) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्— (31) "संतानहीन परित्यक्ता पुत्री से किसी पुरूष भूमिधर की ऐसी पुत्री अभिप्रेत है, जिसने सक्षम न्यायालय से विधि द्वारा तलाक की डिक्री प्राप्त की हो अथवा जो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के अधीन अलग रह रही हो अथवा ऐसी पुत्री जिसका पित सात वर्ष से अधिक अवधि से लापता हो तथा जिसकी कोई संतान न हो।"
नई घारा 130 - क का अंतःस्थापन *130 - क प्रत्येक संक्रमणीय (अन्तरणी में उसकी पत्नी क रूप में दर्ज होगा। परन्तु यह कि भूमिधर की पैतृक स			मूल अधिनियम की धारा 130 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्— "130—क प्रत्येक पुरूष भूमिधर जो धारा 130 के अन्तर्गत संक्रमणीय (अन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर है, के जीवन काल में उसकी पत्नी का नाम अपने पित के अंश में सह—अंशधारी के रूप में दर्ज होगा। परन्तु यह कि इस धारा के उपरोक्त उपबंध पुरूष संक्रमणीय भूमिधर की पैतृक सम्पत्ति में ही लागू होंगे। परन्तु यह और कि विवाह—विच्छेद के पश्चात् पुनर्विवाह करने पर वह पूर्व पित के अंश में सह—अंशधारी नहीं रह जायेगी।

घारा 171	का	4.	(i) मूल अधिनियम में धारा 171 में उपधारा (2) के स्थान पर
संशोधन			निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्-
			(2) किसी पुरूष भूमिधर या आसामी के निम्नलिखित रिश्तेदार,
			उपधारा (1) के उपबन्धों अधीन रहते हुए, उत्तराधिकारी हैं,
			अर्थात्—
			(क) विधवा, अविवाहित पुत्री, संतानहीन परित्यक्ता पुत्री और
			पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार।
			परन्तु यह कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, चाहे
			जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश
			उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित
			होता तो मिलता;
			परन्तु यह और कि यदि विधवा को पूर्व में ही पति की पैतृक
			सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हैं, तो वह पुनः अधिकार प्राप्त नहीं
			करेगी।
			(ख) माता और पिता;
			(ग) विवाहित पुत्री;
			(घ) भाई और अविवाहित बहिन, जो कमशः उसी पिता का पुत्र और पुत्री हो, जिसका कि मृत था और पूर्व मृत भाई का पुत्र, पूर्व
			भाई उसी पिता का पुत्र हो, जिसका कि मृतक था;
			(ङ) पुत्र की पुत्री;
			(च) पिता की माता और पिता का पिता;
			(छ) पुत्री का पुत्र;
			(ज) विवाहित बहिन;
			(झ) सौतेली बहिन, जो उसी पिता की पुत्री हो, जिसका कि मृतक
			था;
			(ञ) बहिन का पुत्र;
			(ट) सौतेली बहिन का पुत्र, सौतेली बहिन उसी पिता की पुत्री हो,
			जिसका कि मृतक था; (ठ) माई के पुत्र का पुत्र;
			(७) माता की माता का पुत्र;
			(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र;
			(w) 11311 12 11311 12 321 321

- (ii) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्—
- (3) अधिनियम की धारा 130—क के अन्तर्गत भूमिधर महिला के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी होगें, अर्थात्—
- (क) विधुर
- (ख) अविवाहित पुत्री, संतानहीन परित्यक्ता पुत्री और पति के पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार;

पति यदि पूर्व में मृतक है तो पति के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी होंगे:—

- (ग) माता और पिता;
- (घ) विवाहित पुत्री;
- (ड.) भाई और अविवाहित बहिन, जो क्रमशः उसी पिता का पुत्र और पुत्री हो, जिसका कि मृत था और पूर्व मृत भाई का पुत्र, पूर्व भाई उसी पिता का पुत्र हो, जिसका कि मृतक था;
- (च) पुत्र की पुत्री;
- (छ) पिता की माता और पिता का पिता;
- (ज) पुत्री का पुत्र;
- (झ) विवाहित बहिन;
- (अ) सौतेली बहिन, जो उसी पिता की पुत्री हो, जिसका कि मृतक था;
- (ट) बहिन का पुत्र;
- (ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, सौतेली बहिन उसी पिता की पुत्री हो, जिसका कि मृतक था;
- (ड) भाई के पुत्र का पुत्र;
- (इ) माता की माता का पुत्र;
- (ण) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र;

THE UTTARAKHAND (UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (AMENDMENT) BILL, 2021

Uttarakhand (BILL..... 2021)

A BILL

further to amend the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Act no. 01 of 1951) in the context of the State of Uttarakhand;

Be it enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventysecond year of the Republic of India as follows-

Short Title, Extent and Commencement	1.	(1) (2) (3)	Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Act, 2021.
Amendment of Section 3	2.		After sub-section (30) of Section 3 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (hereinafter referred to as the principal act) the following subsection shall be inserted namely:-
			(31) "Abandoned daughter having no child mean a daughter of a male bhumidhar who has obtained a divorce by law from a competent court or who is living separately under the decree of judicial separation or such daughter whose husband has been missing for more than seven years and has no child."
Insertion of new section 130-A	3.		After Section 130 of the principal Act the following section shall be inserted namely:-
			130-A "During the lifetime of every male bhumidhar who is a bhumidhar with trasferable rights under section 130, the name of his wife shall be registered as an co-sharer in the share of her husband."
			Provided that the above provisions of this section shall apply only in the ancestral property of the male bhumidhar with transferable rights.
			Provided further that upon remarrying after divorce, she shall not remain a co-sharer in the former husband's share.

Amendement Section 171

of 4.

- (i) In the principal Act for sub-section(2) the following sub-section shall be substituted namely:-
 - (2) The following relatives of the male bhumidhar or asami are heirs subject to the provisions of sub-section (1), namely:-
 - (a) Widow, unmarried daughter, abandoned daughter having no child and the male lineal descendant per strips:

Provided that the widow and the son of a predeceased son how low-so-ever per stirps shall inherit the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive:

Provided further that if the widow already has the rights in ancestral property of the husband, then she shall not get the rights again.

- (b) Mother and father;
- (c) Married daughter.
- (d) Brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased; and son of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;
- (e) Son's daughter;
- (f) Father's mother and father's father,
- (g) Daughter's son;
- (h) Married sister;
- (i) Half- sister, being the daughter of the same father as the deceased;
- (i) Sister's son;
- (k) Half-sister's son, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;
- (I) Brother's son's son;
- (m) Mother's mother's son;
- (n) Father's father's son's son;
- (ii) After sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-
- (3) The following relatives of the Woman bhumidhar under section 130-A of the Act are heirs, namely:-

- (a) Widower
- (b) unmarried daughter, abandoned daughter having no child and the male lineal descendant per strips of husband;

If the husband is deceased in the past, then the following relatives of the husband shall be heirs:-

- (c) Mother and father;
- (d) Married daughter.
- (e) Brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased; and son of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;
- (f) Son's daughter;
- (g) Father's mother and father's father;
- (h) Daughter's son;
- (i) Married sister;
- (j) Half- sister, being the daughter of the same father as the deceased;
- (k) Sister's son;
- (I) Half-sister's son, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;
- (m) Brother's son's son;
- (n) Mother's mother's son;
- (o) Father's father's son's son;

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधयेक मूल अधिनियम का संशोधन मात्र है और उसको अधिनियमित किये जाने पर राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय सन्निहित नहीं है।

> त्रिवेन्द्र सिंह रावत मुख्यमंत्री।

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत मुख्यमंत्री।

खण्ड वार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक में महिलाओं की आर्थिक विकास की गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में संशोधन किये जाने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जिसकी धारा 3(31), 130-क, एवं 171 में संशोधन/अन्तःस्थापन प्रस्तावित है।

- 2— विधेयक के खण्ड (एक) में 'संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ' की व्यवस्था का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
- 3— विधेयक के खण्ड (दो) में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 30 के पश्चात उपधारा 31 का अन्तः स्थापन किया जाना प्रस्तावित है।
- 4— विधेयक के खण्ड (तीन) में अधिनियम की धारा 130 के पश्चात धारा 130—क का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।
- 5— विधेयक के खण्ड (चार) में अधिनियम की धारा 171(2) में संशोधन तथा धारा 171(3) का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत मुख्यमंत्री। मदन कौशिक मंत्री।



अर्द्ध.शा.प.सं. '3न्षं / IV(2)-2021—20(सा०) / 20 शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार देहरादूनः दिनांकः ७३मार्च,2021

सम्मानित अध्यक्ष जी,

में विधान सभा के वर्तमान सत्र में "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021 को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ।

कृपया उक्त विधेयक को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

मदन कौशिक

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, मा० अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखण्ड।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के सम्पत्ति कर विषयक उपबन्धों में संशोधन करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 लाया गया था।

- 2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।
- 3- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

मदन कौशिक मंत्री